# सराहनीय कार्य

## इटावा पुलिस

**प्रेस नोट- दिनांक 25.07.2024**

**राहगीरों से मोबाइल की चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

**कब्जे से चोरी किये गये 08 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त ऑटो किया गया बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में **थाना फ्रेंण्डस कालोनी पुलिस** द्वारा की गयी कार्यवाही।

**घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-**

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं चोरी/टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 24/25.07.24 की रात्रि को थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुनैरा पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि राहगीरों से मोबाइल की चोरी करने वाले व्यक्ति बिचपुरी खेड़ा नहर पुल पर ऑटो में बैठ कर किसी घटना को कारित करने की योजना बना रहे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर 03 व्यक्तियों को **बिचपुरी खेड़ा नहर पुल से समय 12.45 बजे रात्रि मे गिरफ्तार किया गया।**

**पुलिस पूछताछ:**

पकड़े गये व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति सत्यम उर्फ बांके बिहारी के कब्जे से 02 मोबाइल फोन, दूसरे व्यक्ति दीपक उर्फ दीपू से 03 मोबाइल फोन, तीसरे व्यक्ति सोनवीर से 03 मोबाइल फोन बरामद किये गये। जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि यह सभी मोबाइल हम लोगों नें राहगीरों एवं हाइवे पर ट्रक चालकों से मौका पाकर चोरी किये है।

**उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना फ्रेंण्डस कालोनी पर मु0अ0सं0 176/24 धारा 317(2) व 35(1) बीएनएसएस पंजीकृत किया गया ।**

**बरामद ऑटो को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।**

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. सत्यम उर्फ बांके बिहारी पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी तुलसी अड्डा थाना फ्रेंण्डस कालोनी जनपद इटावा **उम्र 19 वर्ष**।
2. दीपक उर्फ दीपू पुत्र राऔतार निवासी नवीन मंडी शिवा कालोनी थाना फ्रेंण्डस कालोनी जनपद इटावा **उम्र 26 वर्ष**।
3. सोनवीर पुत्र बादशाह निवासी अड्डा ऊसरा थाना फ्रेंण्डस कालोनी जनपद इटावा **उम्र 21 वर्ष**।

**बरामदगी-**

1. **08 मोबाइल (भिन्न – भिन्न कम्पनी के चोरी किये गये)**
2. **01 ऑटो (रैकी मे प्रयुक्त)**

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 176/24 धारा 317(2) बीएनएस व 35(1) बीएनएसएस थाना फ्रेंण्डस कालोनी जनपद इटावा।

**आपराधिक इतिहास:-**

**अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू:-**

1. मु0अ0स0 268/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा
2. मु0अ0स0 265/2022 धारा 392/411 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा
3. मु0अ0स0 52/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इकदिल जनपद इटावा
4. मु0अ0सं0 176/2024 धारा 317(2) बीएनएस व 35(1) बीएनएसएस थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा

**पुलिस टीम-** निरी0 बलराम मिश्रा प्रभारी थाना फ्रेंण्डस कालोनी, उ0नि0 नितिन कुमार, उ0नि0 अरविन्द यादव, का0 रवि देव, का0 मनोज कुमार, का0 सनी शर्मा, का0 मोहित कुमार।